संचालनालय महिला एवं बाल विकास, म0प्र0

"विजयाराजे वात्सल्य भवन" 28–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल, (म.प्र.) 462011

दूरभाषः 0755–2550909 फैक्सः 0755–2550912 वेब साईट–www.mpwcdmis.gov.in,mpwcd.nic.in

ईमेलः onesc.we@mp.gov.in, commicds@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 27/11/2019

क्र/म.बा.वि/SHW/2019/1015

प्रति,

प्रिंसीपल

राजीव गांधी कॉलेज

ओल्ड सेल के सामने

जिला भोपाल (म.प्र.)

विषयः–महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 अन्तर्गत कार्यशाला के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप भारत सरकार ने महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 निर्मित कर अधिसूचना जारी की गई हैं।

अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत समस्त कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक "आंतरिक परिवाद समिति" का गठन करेगा एवं अधिनियम की धारा 26 अंतर्गत नियोजक द्वारा आंतरिक समिति का गठन करने में असफल होने पर जुर्माने से, दंडनीय होगा। अतः प्रत्येक कार्यालय में एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्ष कार्यालय की वरिष्ठ महिला अधिकारी होती है।

संगिनी संस्था द्वारा विभिन्न कार्यस्थलों पर किये गये अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि कार्यस्थलों में आंतरिक समिति का गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है एवं अधिनियम का कियान्वयन भी समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा है।

अतः अधिनियम के कियान्वयन के संबध में दिनांक **6.12.2019** को संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, **"विजयाराजे वात्सल्य भवन" 28–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल,** के तृतीय तल में समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यशाला में आपके कार्यालय/संस्था/महाविद्यालय/विद्यालय में गठित आंतरिक परिवाद समिति की अध्यक्ष, जहॉ पर समिति गठित नही की गयी है, वहॉ के कार्यालय/संस्था प्रमुख अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

संलग्नः–सूची

(नरेश पाल कुमार)
आयुक्त
महिला एवं बाल विकास, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 27/11/2019

पृ.कमांक/म.बा.वि/SHW/2019/1016

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
महिला एवं बाल विकास, म.प्र.